जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : जीवि/परीक्षा–2/गोप./2014/334 दिनांक : 22/04/2014

// अधिसूचना // **आवश्यक**

सर्वसंबंधित के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 707/231/आउशि/शाख–5'अ'/2012, भोपाल दिनांक 10 जुलाई 2012 में दिये गये निर्देशानुसार स्नातक पाठ्यक्रम को छात्र द्वारा 05 वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जाना है।

अतः जिन छात्रों को सेमेस्टर परीक्षा में ए.टी.के.टी. प्राप्त हुयी है, ऐसे छात्र एक सेमेस्टर परीक्षा में दो विषय में ए.टी.के.टी. के साथ कुल सेमेस्टर की विभिन्न परीक्षाओं में जैसे–प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम सेमेस्टर की पिछली परीक्षाओं में कुल चार विषय की ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही जिस सेमेस्टर में उन्हें ए.टी.के.टी. की पात्रता है, वह उस सेमेस्टर की ए.टी.के.टी. की परीक्षा में भी सम्मिलित होंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ''जब तक उनके पाठ्यक्रम की अवधि पाँच वर्ष समाप्त नहीं हो जाती है तब तक वह पिछले सेमेस्टर की ए.टी.के.टी. परीक्षाओं में सम्मिलित होते रहेंगे।''

लेकिन जो छात्र सेमेस्टर की परीक्षा में दो विषयों से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने के कारण परीक्षा में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होना चाहते हैं, ऐसे छात्रों को शासन द्वारा लागू ''एकल प्रश्न–पत्र प्रणाली'' के अंतर्गत सम्पूर्ण विषयों की परीक्षा में नवीन पाठ्यक्रम के अंतर्गत परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। ऐसे छात्र पुराने पाठ्यक्रम के अंतर्गत सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों से अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना को महाविद्यालय के सूचना–पटल पर छात्रों को सूचित करने हेतु अनिवार्य रूप से चस्पा करें तथा तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

नोट–

सभी सम्बंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यो को सूचित किया जाता है कि जिन छात्रों के पाँच वर्ष पूरे नहीं हुये है, और सभी सेमेस्टर में कुल 4 विषय में ए0टी0के0टी0 से ज्यादा नहीं है। ऐसे छात्रों के षष्ठम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म महाविद्यालयों द्वारा जमा करायें जायें।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः–

1. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, जीवाजी वि.वि.ग्वालियर।
2. उप/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय), जीवाजी वि.वि.ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी वि.वि.ग्वालियर।
4. कुलसचिव के गोपनीय/निजी सहायक, जीवाजी वि.वि.ग्वालियर।
5. इंचार्ज इन्टरनेट, जीवाजी वि.वि.ग्वालियर।

सहायक–कुलसचिव (परीक्षा)